अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

केन्द्रीयकृत रोजगार सूचना संख्या (सीईएन) 07/2024 (मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कोटियां)

प्रश्न.1. सीईएन संख्या 07/2024 के लिए आवेदन पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि क्या है?

उत्तर - आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 07.01.2025 है।

प्रश्न.2. सीईएन संख्या 07/2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर - ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 06.02.2025 (23.59 hrs.) है।

NewsforSpecialTeacher.in

प्रश्न.3. शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर - ऑनलाइन आवेदन का शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 08.02.2025 (23.59 hrs.) है।

प्रश्न.4. आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए तिथियां क्या हैं?

उत्तर - संशोधन विंडो दिनांक 09.02.2025 से 18.02.2025 तक सक्रिय रहेगी। यदि उम्मीदवार खाता बनाएँ फॉर्म (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) में भरा गया विवरण और चयनित आरआरबी को छोड़कर किसी भी विवरण में संशोधन, परिवर्तन या सुधार करना चाहते हैं, तो वे प्रत्येक बार संशोधन शुल्क 250/- रुपये (नॉन रिफंडेबल) का भुगतान करके ऐसा कर सकते है। (कृपया ध्यान दें: खाता बनाएँ फॉर्म में भरा गया विवरण और 'चुने गए आरआरबी' को संशोधित नहीं किया जा सकता है)।

प्रश्न.5. मेरा अंतिम परिणाम 06.02.2025 के बाद आने की उम्मीद है। क्या मै आवेदन कर सकता हूं?

उत्तर - नहीं। निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी/व्यवसायिक योग्यता के अंतिम परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं। उम्मीदवारों के पास इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी/व्यवसायिक योग्यताएं होनी चाहिए।

NfSt

प्रश्न.6. खाता बनाएँ 'Create an Account' के लिए क्या आवश्यकताएं हैं?

उत्तर - उम्मीदवारों के पास अपना मोबाइल नंबर और सक्रिय एवं वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी होना चाहिए।

प्रश्न.7. मैंने CEN 01/2024 के लिए एक अकाउंट/खाता बनाया है। क्या मुझे सीईएन संख्या 07/2024 के लिए एक और अकाउंट/खाता बनाना चाहिए?

उत्तर - नहीं। जिन उम्मीदवारों ने वर्ष, 2024 में (**सीईएन संख्या** 01/2024 (एएलपी) या **सीईएन संख्या** 02/2024 (तकनीशियन), **सीईएन संख्या** 03/2024 (जेई, डीएमएसएवं सीएमए), **सीईएन संख्या** 04/2024 (पारामेडिकल), **सीईएन संख्या** 05/2024 (एनटीपीसी-जी) **सीईएन संख्या** 06/2024 (एनटीपीसी-यूजी) या आरपीएफ **सीईएन संख्या** 01/2024 (उप-निरीक्षक) या आरपीएफ **सीईएन संख्या** 02/2024 (सिपाही)) रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा प्रकाशित किसी भी अधिसूचना के दौरान पहले ही **अकाउंट/खाता** बना लिया है, उन्हें दुबारा **अकाउंट/खाता** बनाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन भरने के लिए उनहें **सीईएन संख्या** 07/2024 के लिए उसी यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करना चाहिए।

प्रश्न.8. खाता बनाने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर - 'Apply Button' के तहत , 'Create an Account' चुनें, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी सहित पूछे गए सभी विवरण दर्ज करें। उम्मीदवार के मोबाइल नंबर और ई-मेल पर ओटीपी भेजा जाएगा। इसी को दर्ज करके जमा करना होगा।

NewsforSpecialTeacher.in

प्रश्न.9. क्या मैं खाता बनाएँ 'Create an Account' का विवरण में संशोधन कर सकता हूँ?

उत्तर - एक बार अकाउंट खाता बन जाने के बाद उम्मीदवार, 'Create an Account' के किसी भी विवरण में संशोधन नहीं कर सकते हैं। तथापि, उचित तथा वास्तविक कारण होने के मामले में उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेजों के साथ ई-मेल rrb.help@csc.gov.in पर अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे मामलों में जांच की जाएगी और यथाउचित निर्णय लिया जाएगा। ऐसे मामलों में आवश्यक संशोधनों को बेक् एंड में किया जाएगा तथा उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ई-मेल पर सूचित कर दिया जाएगा।

प्रश्न.10. खाता बनाएँ 'Create an Account' के बाद अगली प्रक्रिया क्या है?

उत्तर - 'होम' पेज पर जांए। 'Apply' टैब के तहत, ड्रॉपडाउन मेनू से 'Already have an account' चुनें। अपने अकाउंट में साइन इन करें। वहां पांच विस्तृत अनुभाग हैं: व्यक्तिगत विवरण, अन्य विवरण, शैक्षणिक योग्यता , प्रोफाइल दस्तावेज अपलोड, प्राथमिकता और पुर्वालोकन और जमा। व्यक्तिगत विवरण दर्ज करने के बाद, उसे सेव करें और अगले अनुभाग पर आगे बढें और इसी तरह आगे बढते जाएं जब तक कि उम्मीदवार अंतिम अनुभाग 'प्राथमिकता और पूर्वालोकन और जमा करने तक न पहुंच जाए, जहां उम्मीदवार अपना आवेदन जमा कर सकते है। शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूरी करें। अंत मे पंजीकरण संख्या अंकित आवेदन का एक प्रिंटआउट रख लें।

प्रश्न.11. क्या आवेदन भरने के लिए मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं?

उत्तर - ऐप्लिकेशन मॉड्यूल की कुछ विशेषताएं हैं जो मोबाइल प्लेटफॉर्म पर ठीक से काम नहीं करेंगी। इसलिए, डेस्कटॉप/लैपटॉप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

प्रश्न.12. लॉग इन करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर - पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी दर्ज करने बाद पासवर्ड तथा कैपचा डालें और सबमिट करें।

NfSt

प्रश्न.13. सीईएन संख्या 07/2024 में कितने वेतन स्तर हैं?

उत्तर - सीईएन संख्या 07/2024 में पाँच वेतन स्तर हैं। (वेतन स्तर-8, वेतन स्तर-7, वेतन स्तर-6, वेतन स्तर-4, वेतन स्तर-2)

NewsforSpecialTeacher.in

प्रश्न.14. क्या मैं अलग अलग वेतन स्तर के लिए संयुक्त आवेदन जमा कर सकता हूँ?

उत्तर - हाँ। आप अलग अलग वेतन स्तर के लिए एक ही संयुक्त आवेदन जमा कर सकते हैं, यदि आप उन सभी वेतन स्तरों की शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा करते हैं तो।

प्रश्न.15. क्या मैं अलग अलग वेतन स्तरों के लिए अलग अलग आरआरबी में आवेदन कर सकता हूं?

उत्तर - नहीं, वेतन स्तर में पात्रता के अनुसार उम्मीदवारों को केवल एक ही आरआरबी के लिए आवेदन करने की अनुमति है।

प्रश्न.16. क्या मैं एक से अधिक आरआरबी के लिए आवेदन कर सकता हूं?

उत्तर - नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक से अधिक रेलवे भर्ती बोर्ड में आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा रेलवे भर्ती बोर्ड और आपको रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की होने वाली सभी आगामी परीक्षाओं में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा।

प्रश्न.17. क्या मैं एक ही आरआरबी में एक से अधिक आवेदन कर सकता हूं?

उत्तर - नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही रेलवे भर्ती बोर्ड मे एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा रेलवे भर्ती बोर्ड और आपको रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की होने वाली सभी आगामी परीक्षाओं में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा।

प्रश्न.18. मैंने LASIK सर्जरी कराई है। क्या मैं आवेदन करने के लिए योग्य हूं?

उत्तर - LASIK सर्जरी से गुजरने वाले उम्मीदवार उन पदों के लिए सशर्त पात्र हैं जिनके लिए चिकित्सा मानक B1 की आवश्यकता है। कृपया पैरा 3.0 की नोट देखें।

प्रश्न.19. आधार सत्यापन की आवश्यकता क्यों है?

उत्तर - उम्मीदवारी की वास्तविकता सुनिश्चित करने के बाद और परीक्षा के दौरान प्रतिरूपण को रोकने के लिए आधार सत्यापन आवश्यक है। रेलवे भर्ती बोर्ड आधार विवरण को किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेंगे अथवा इस सीईएन के उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए उनका उपयोग नहीं होगा/किया जाएगा।

प्रश्न.20. अगर मेरे पास आधार नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर - यदि उम्मीदवार के पास आधार नहीं है, तो वे निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी का भी विवरण दे सकते हैं:

i. ड्राइविगं लाइसेंस
ii. पासपोर्ट
iii. पैन
iv. वोटर आईडी
v. नियोक्ता आईडी (सरकारी)
vi. स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय का आईडी (यदि अभी भी अध्ययन कर रहे हैं)

NfSt
NewsforSpecialTeacher.in

ऑनलाइन आवेदन में चयनित दस्तावेजों को सीबीटी, प्रदर्शन परीक्षा,कौशल प्रशिक्षण परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन एवं चिकितसा परीक्षा आदि के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

प्रश्न.21. यदि मैंने अपना नाम पहले ही बदल लिया है तो मुझे कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए?

उत्तर - आवेदकों के पास नाम परिवर्तन के लिए एक राजपत्रित अधिसूचना या संबंधित कानूनी दस्तावेज होना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनुरोध पर इसे प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के समय इसे जमा किया जाना चाहिए । आवेदकों को **खाता बनाएँ** ‘Create an Account’ के दौरान मूल नाम और परिवर्तित नाम भी भरना होगा। ऐसे मामलों में आवेदन में दोनों नाम दर्शाए जाएंगे।

प्रश्न.22. यदि मैं अपने अकाउंट में साइन इन करने के लिए पासवर्ड भूल गया तो मझु क्या करना चाहिए?

उत्तर- लॉग इन पेज पर 'Forgot Password' विकल्प पर क्लिक करें। अपनी जन्मतिथि के साथ अपना पंजीकृत ई-मेल या मोबाइल नंबर दर्ज करें। वहां संशोधित पासवर्ड उम्मीदवार के पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ई-मेल पर भेजे गए संशोधित पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद, उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पेज़ के ऊपरी दाईं ओर उपलब्ध 'Change password’ विकल्प का उपयोग कर एक नया पासवर्ड बना सकते हैं।

प्रश्न.23. क्या मैं अपना पासवर्ड बदल सकता हूं?

उत्तर - हां। उम्मीदवारों को पहले पुराने पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करना चाहिए। लॉग इन करने के बाद, उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पेज़ के ऊपरी दाईं और उपलब्ध 'change password' विकल्प का उपयोग करके अपना पुराना पासवर्ड को बदल सकते हैं।

प्रश्न.24. क्या मैं अपना 'चयनित आरआरबी' बदल सकता हूं?

उत्तर - नहीं। आवेदन जमा करने के बाद आप चयनित रेलवे भर्ती बोर्ड को नहीं बदल सकते हैं।

प्रश्न.25. क्या मैं आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपना विवरण बदल सकता हूं?

उत्तर - हां। **खाता बनाएँ** 'Create an Account' के दौरान दर्ज किए गए विवरण को छोड़कर आवेदन में किसी भी विवरण को तब तक बदला जा सकता हैं जब तक आवेदन जमा न हो जाए और पंजीकरण संख्या सृजित न हो जाए।

NewsforSpecialTeacher.in

प्रश्न.26. 'निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण' (निःशुल्क रेलवे पास) के लिए कौन पात्र है?

उत्तर - केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 'निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण' (निःशुल्क रेलवे पास) का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

प्रश्न.27. मैं 'निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण' (निःशुल्क रेलवे पास) का लाभ कैसे उठाऊं?

उत्तर - यह सुविधा केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है। ऐसे उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय "क्या आप परीक्षा के लिए निःशुल्क रेल यात्रा पास का लाभ लेना चाहते हैं?" ('Do you wish to avail free rail travel pass for the exam') के अंतर्गत ड्रॉपडाउन से 'Yes' का चयन करना चाहिए और 'निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम' भरना चाहिए। निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों की यह जिम्मेदारी है कि वे ऑनलाइन आवेदन में रेलवे स्टेशन का सही नाम दें, ऐसा न करने पर टिकट आरक्षण प्राप्त करते समय उनका यात्रा प्राधिकरण अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना आवश्यक है।

प्रश्न.28. मैं निःशुल्क यात्रा सुविधा कैसे प्राप्त कर सकता हूं?

उत्तर - अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवारों के मामले में, उनके शहर सूचना पर्ची /ई-कॉल लेंटर में ही निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण (शयनयान श्रेणी रेलवे पास) होगा। उन्हें टिकट बुकिंग काउंटर पर अपने शहर की सूचना पर्ची /ई-कॉल लेटर और अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करके ट्रेन आरक्षण बुक करने की अनुमति होगी। अधिक जानकारी के लिए सीईएन 07/2024 का पैरा 18.0 (e) देखें।

प्रश्न.29. मैं अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने में असमर्थ हूं।

उत्तर - इसकी जांचें करें कि क्या स्कैन किया गया दस्तावेज पीडीएफ 'PDF' प्रारूप में हैं और माप 500 KB से कम है।

NfSt

प्रश्न.30. ईबीसी क्या है?

उत्तर - ईबीसी 'आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग' है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000/- रुपए से कम है अथवा बीपीएल कार्ड धारक अथवा किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार दवारा जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र के धारक हैं, या वे रेलवे दवारा जारी (या) इज्जत एमएसटी धारक हैं। उम्मीदवारों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को अन्य पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए ।

प्रश्न.31. ईबीसी उम्मीदवारों को क्या लाभ दिए जाते हैं?

उत्तर - ईबीसी उम्मीदवारों को 'शुल्क रियायत' दी जाती है। विस्तृत सीईएन संख्या 07/2024 का पैरा 7.3 देखें।

NewsforSpecialTeacher.in

प्रश्न.32. मैं ईबीसी हूं। अगर मेरे पास ईबीसी प्रमाण पत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर -उम्मीदवार के पास आवेदन जमा करने से पहले विस्तृत सीईएन के **अनुलग्नक III (A)** के अनुसार एक वैध आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि उनके पास **अनुलग्नक III (A)** के अनुसार आय प्रमाण पत्र नहीं है, तो उम्मीदवार अपने बीपीएल कार्ड का ब्यौरा या मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य प्रमाण पत्र (या) रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी का ब्यौरा दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विस्तृत सीईएन संख्या 07/2024 का पैरा 7.3 देखें।

ईबीसी प्रमाणपत्र/ बीपीएल कार्ड/इज्जत एमएसटी, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक मान्य होना चाहिए और उसे दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए अन्यथा उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।

प्रश्न.33. क्या ईबीसी के लिए पद आरक्षित हैं?

उत्तर - नहीं। ईबीसी उम्मीदवार केवल शुल्क रियायत के लिए पात्र हैं। ईबीसी उम्मीदवारों के लिए पदों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

प्रश्न.34. इस सीईएन-07/2024 के लिए आयु गणना की महत्वपूर्ण तिथि क्या है?

उत्तर - इस सीईएन संख्या 07/2024 के लिए आयु गणना की महत्वपूर्ण तिथि 01.01.2025 है। अधिक जानकारी के लिए सीईएन संख्या 07/2024 के पैरा 5.0, 5.1, 5.2 और 5.3 को देखें।

प्रश्न.35. अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग स्थिति का दावा करने की महत्वपूर्ण तिथि क्या है?

उत्तर - अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग स्थिति के आधार पर आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास इस सीईएन के ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अंतिम तिथि (06.02.2025) तक जाति/समुदाय प्रमाण पत्र है। ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान उनका मूल जाति/समुदाय प्रमाणपत्र (निर्धारित प्रारूप में) जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक मान्य है को प्रस्तुत करना होगा।

NewsforSpecialTeacher.in

प्रश्न.36. ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ उठाने के लिए मानदंड क्या है?

उत्तर - रेलवे भर्ती बोर्डों की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध विस्तृत सीईएन संख्या 07/2024 का पैरा 8.9 देखें।

NfSt

प्रश्न.37. शुल्क रियायत के लिए कौन पात्र हैं?

उत्तर - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, पीडब्ल्यूबीडी, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार शुल्क में छूट के लिए पात्र हैं।

प्रश्न.38. मैं वर्तमान में सशस्त्र बलों में सेवारत हूं। क्या मैं भूतपूर्व सैनिक के लिए आवेदन कर सकता हूं?

उत्तर - आप भूतपूर्व सैनिक के लिए आवेदन कर सकते हैं, यदि आपको इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर (यानी 06.02.2025 को या उससे पहले) सेवामुक्त कर दिया जाएगा। विस्तृत सीईएन संख्या 07/2024 का पैरा 10.2 को देखें।

प्रश्न.39. मैंने पहले से ही पूर्व सैनिक के रूप में असैन्य रोजगार प्राप्त कर लिया है। क्या मैं इस सीईएन के लिए पूर्व सैनिक लाभ के लिए पात्र हूं?

उत्तर - भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार, जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने के बाद समूह 'ग' और पूर्ववर्ती समूह 'घ' (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) में केन्द्र सरकार के अधीन असैन्य रोजगार प्राप्त कर लिया है, उन्हें केन्द्र सरकार के अधीन समूह 'ग'/पूर्ववर्ती समूह 'घ' में उच्चतर ग्रेड या संवर्ग में अन्य असैन्य रोजगार प्राप्त करने के लिए केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट का ही लाभ ही दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर ऐसे उम्मीदवारों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। विस्तृत सीईएन संख्या 07/2024 का पैरा 10.0 से 10.5 देखें ।

प्रश्न.40. दस्तावेज़ सत्यापन के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) किन्हें प्रस्तुत करना चाहिए?

उत्तर - भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार, जिन्होंने पहले ही असैन्य रोजगार प्राप्त कर लिया है, सेवारत रेल कर्मचारी (एसआरई) और केन्द्र /राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मों में सेवारत कर्मचारियों को दस्तावेज सत्यापन के समय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

NfSt

प्रश्न.41. पीडब्ल्यूबीडी के लिए निर्दिष्ट दिव्यंगता की बेंचमार्क डिग्री क्या है?

उत्तर - बेंचमार्क दिव्यंगता वाले व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने के लिए दिव्यंगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। सीईएन संख्या 07/2024 का पैरा 11.0 से 11.8 को देखें ।

प्रश्न.42. क्या पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर - पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार किसी भी पद की अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं जो उनके लिए विशेष रूप से निर्धारित नहीं हैं, यदि वे सीईएन संख्या 07/2024 के अनुलग्नक-A (पोस्ट पैरामीटर) में दर्शाई गई उस पद के लिए दिव्यंगता के लिए उपयुक्त हैं। वे इन पदों के लिए आवेदन करते समय आयु में छूट और शुल्क में छूट के पात्र होंगे ।

प्रश्न.43. प्रश्न 43. मैं पदों के लिए विभिन्न विकलांगताओं की उपयुक्तता के बारे में कैसे जान सकता हूँ?

NewsforSpecialTeacher.in

उत्तर - दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किसी पद की उपयुक्तता है या नहीं, यह प्रत्येक पद के सामने पद पैरामीटर तालिका (अनुलग्नक-A) में "बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता" कॉलम के तहत विकलांगता की निर्दिष्ट उप-श्रेणी के विवरण के साथ दर्शाया गया है।

प्रश्न.44. स्क्राइब सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कौन पात्र हैं?

उत्तर - (i) दृष्टिहीनता, गति-संचालन विकलांगता (दोनों हाथ प्रभावित) और मस्तिष्क पक्षाघात जैसी बेंचमार्क विकलांगता की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवार।

(ii) बेंचमार्क विकलांगता वाले अन्य श्रेणी के पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों अर्थात दृष्टिबाधित (VI) उम्मीदवार/ऐसे उम्मीदवार जिनकी लेखन गति मांसपेशीय दुर्विकास से प्रभावित है/लोकोमोटर विकलांगता (एक हाथ)/बौद्धिक विकलांगता (ऑटिज्म, विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता और मानसिक बीमारी) वाले उम्मीदवार जिनमें विकलांगता 40% से कम नहीं है, में उनके द्वारा किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से अनुलग्नक-V(G) के अनुसार यह प्रमाण पत्र कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक रूप से अक्षमता है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है को प्रस्तुत करने पर।

(iii) 40% से कम विकलांगता वाले दिव्यांगजन (जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं) और जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, यदि वे परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक-V(E) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं।

प्रश्न.45. 'फीस की वापसी' के लिए कौन पात्र हैं?

उत्तर - केवल सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवार 'फीस की वापसी' (बैंक शुल्क की विधिवत कटौती के बाद) के लिए पात्र हैं, जैसा कि विस्तृत सीईएन संख्या 07/2024 के पैरा 7.0 के तहत दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि संशोधन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

NfSt

प्रश्न.46. कृपया मुझे आरआरबी की 'रिफंड पॉलिसी' बताएं।

उत्तर - रिफंड पॉलिसी: भुगतान के साथ साथ आवेदक यह भी स्वीकार करता है और सहमत है कि किया गया भुगतान नॉन रिफंडेबल है और आवेदक किसी भी परिस्थिति में चार्जबैक का दावा नहीं कर सकते हैं। शुल्क का वापसी योग्य हिस्सा (विस्तृत सीईएन के पैरा 7.0 के अनुसार) केवल उन उम्मीदवारों पर लागू होगा जो सीबीटी में भाग लेंगे। गलत, अधूरे या अस्वीकृत आवेदनों और सीबीटी में गैर-उपस्थिति के लिए परीक्षा शुल्क की कोई वापसी नहीं होगी।

प्रश्न.47. आवेदन में केवल मैट्रिकुलेशन दिखाई दे रहा है। मैं अपनी अन्य योग्यताएँ कैसे जोड़ूँ?

उत्तर - 'Qualification' के अंतर्गत प्रासंगिक योग्यता का चयन करें, योग्यता विवरण भरें और 'ADD' बटन पर क्लिक करें।

NewsforSpecialTeacher.in

प्रश्न.48. यदि मैट्रिक और अन्य योग्यता प्रमाणपत्रों पर केवल उत्तीर्ण होने का महीना और वर्ष उपलब्ध है, तो मुझे आवेदन में कौन सी तारीख दर्ज करनी चाहिए?

उत्तर - यदि किसी भी योग्यता प्रमाणपत्र पर तारीख उपलब्ध नहीं है, तो प्रमाणपत्र पर उपलब्ध महीने की अंतिम तारीख दर्ज करें। उदाहरण के लिए, मई-2024 को 31-05-2024 के रूप में उल्लेख किया जा सकता है।

प्रश्न.49. यदि जिला/राज्य का विभाजन हो गया है तो मुझे किस जिले/राज्य का उल्लेख करना चाहिए?

उत्तर - वर्तमान जिले/राज्य का उल्लेख किया जा सकता है क्योंकि विभाजन के बदले में संबंधित राज्य के लिए कुछ जिले नहीं दिखाए जाएँगे, यानी आंध्र प्रदेश के दो राज्यों (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) में विभाजन के बाद। संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य के जिलों को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजित किया गया है। इसके अलावा, संबंधित राज्यों के जिलों को और विभाजित किया गया है। इसलिए, अस्पष्टता से बचने के लिए वर्तमान जिले/राज्य का उल्लेख किया जा सकता है।

प्रश्न.50. कुल मिलाकर कौन-कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे?

उत्तर - सभी उम्मीदवारों को निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार अपनी स्कैन की गई फोटो और स्कैन किए गए हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को मुफ्त यात्रा पास का लाभ उठाने के लिए जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

प्रश्न.51. अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों का माप क्या होना चाहिए?

उत्तर - पीडीएफ प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र का माप 500KB से कम होना चाहिए। जेपीईजी प्रारूप में फोटोग्राफ का माप 40 KB से 70 KB (न्यूनतम 100 DPI रिज़ॉल्यूशन) के बीच होना चाहिए। स्कैन किए गए हस्ताक्षर, जेपीईजी प्रारूप में, 30 KB से 70 KB (न्यूनतम 100 DPI रिज़ॉल्यूशन) के बीच के माप के होने चाहिए। सभी आयाम 'Upload Profile Documents' पृष्ठ पर ही प्रदर्शित किए जाते हैं।

प्रश्न.52. मैं फीस का भुगतान कैसे कर सकता हूँ?

उत्तर - फीस का भुगतान केवल नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या यूपीआई सेवाओं के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। फीस के अलावा उम्मीदवार से प्रोसेसिंग शुल्क और जीएसटी भी लिया जाएगा।

प्रश्न.53. मुझे कितनी फीस देनी होगी?

उत्तर - CEN संख्या: 07/2024 का पैरा 7.0 देखें।

प्रश्न.54. भर्ती प्रक्रिया के चरण क्या हैं?

उत्तर - एकल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), प्रदर्शन परीक्षण/शिक्षण कौशल परीक्षण, अनुवाद परीक्षण (जैसा लागू हो) और दस्तावेज़ सत्यापन (DV) और चिकित्सा परीक्षा (ME)। विस्तृत CEN संख्या: 07/2024 का पैरा 13.3 देखें।

NewsforSpecialTeacher.in

प्रश्न.55. एकल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), प्रदर्शन परीक्षण/शिक्षण कौशल परीक्षण, अनुवाद परीक्षण के लिए पैटर्न और सिलेबस क्या है?

उत्तर - कृपया विस्तृत सीईएन संख्या: 07/2024 के पैरा 13.5 से 13.14 और अनुलग्नक VII से XXI देखें।

प्रश्न.56. क्या निगेटिव मार्किंग होगी?

उत्तर - कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में हर गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी।

प्रश्न.57. मुझे अपनी परीक्षा के लिए अपनी पसंद की भाषा कहां से चुननी चाहिए?

उत्तर - उम्मीदवार 'Personal Details' पृष्ठ के अंतर्गत ड्रॉप-डाउन मेनू में उपलब्ध 15 भाषाओं की सूची में से एक भाषा चुन सकते हैं।

प्रश्न.58. क्या मुझे उन सभी पदों के लिए वरीयता क्रम प्रदान करना चाहिए जिनके लिए मैं पात्र हूँ?
उत्तर - हाँ, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे चुने गए आरआरबी में जितने पदों के लिए पात्र हैं, उतने पदों के लिए अपनी वरीयता क्रम दर्शाएँ। आवंटन के समय रिक्ति उपलब्धता के अधीन आंशिक वरीयता वाले उम्मीदवारों पर केवल उन विशिष्ट रेलवे ज़ोन और पदों/श्रेणियों के लिए विचार किया जाएगा, जिन्हें उन्होंने चुना है। यदि कुछ पदों/श्रेणियों के लिए कोई वरीयता नहीं दी जाती है, तो उसे उन पदों के लिए उनकी अनिच्छा माना जाएगा। एक बार वरीयताएँ प्रस्तुत करने के बाद, वे अंतिम होती हैं, और कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रश्न.59. आवेदन जमा करने से संबंधित प्रश्नों के मामले में मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?
उत्तर - CEN नंबर: 07/2024 के लिए आवेदन जमा करने से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन: (सभी कार्य दिवसों में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) ईमेल: rrb.help@csc.gov.in फोन: 9592001188, 0172-565-3333

प्रश्न.60. मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आवेदन अंतिम रूप से जमा हो गया है?
उत्तर - ऑनलाइन आवेदन की अंतिम स्वीकृति आवेदन शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही होगी। आवेदक को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सफल भुगतान पर पुष्टि प्राप्त होगी।

NewsforSpecialTeacher.in

प्रश्न.61. मेरे आवेदन को अस्वीकार किए जाने की स्थिति में, क्या मेरे द्वारा भुगतान किया गया शुल्क वापस किया जाएगा?
उत्तर - आवेदनों की अस्वीकृति के कारण कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

प्रश्न 62. क्या मैं आवेदन का प्रिंट आउट ले सकता हूँ?
उत्तर - हाँ। उम्मीदवार परीक्षा शुल्क के भुगतान के बाद अपने आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं।

NfSt